

centres are equipped with such facilities, if so, the details thereof; and

(c) whether Government propose to have such facilities at the Olympic as well as National games locations and to utilise these locations for conducting coaching camps?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUKUL WASNIK):
(a) Yes, Sir.

(b) The Sports Authority of India Centres at Bangalore and Patiala have been fully equipped, while facilities at other Centres of Sports Authority of India are being upgraded.

(c) Yes, Sir.

अनुसूचित जनजाति के एक अधिकारी के साथ किया गया अन्याय

3314. श्री कमेश्वर पासवान: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 27 अगस्त, 1993 को राज्य सभा में अतारंकित प्रश्न 4494 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जनजाति के एक संयुक्त सचिव जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद पर कार्यरत थे, को निर्लक्षित कर दिया गया और उस पद को अनारक्षित घोषित करके विज्ञापित किया गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि तत्कालीन संयुक्त सचिव की कार्यकुशलता के कारण बोर्ड की पूरक परीक्षा के परिणाम 10 दिन पहले ही घोषित कर दिये गये और इसकी प्रसंसा 20 जून, 1988 को विभागीय अध्यक्षों की बैठक में भी की गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो आरक्षित वर्ग के अधिकारी को हटाकर अनारक्षित श्रेणी से अन्य अधिकारी नियुक्त करने का क्या कारण था; और

(घ) अनुसूचित जनजाति के पदच्युत संयुक्त सचिव की अकुशलता क्या थी जबकि उसकी कार्यकुशलता की काफ़ी प्रसंसा की गई थी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी सैलजा): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से प्राप्त सूचना के अनुसार बोर्ड में अस्थाई आधार पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के संयुक्त

सचिव की सेवाएं बोर्ड द्वारा समाप्त की गईं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि यह सच नहीं है कि संयुक्त सचिव के पद को अनारक्षित घोषित करके इसे विज्ञापित किया गया था।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि 20.6.1988 को आयोजित बोर्ड के विभागाध्यक्षों की बैठक में संबंधित संयुक्त सचिव की दक्षता के बारे में सराहना नहीं की गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि सम्बन्धित संयुक्त सचिव की सेवाएं समाप्त करने के बारे में बोर्ड द्वारा निर्णय, उनके अक्षम और असंतोषप्रद कार्य-निष्पादन के कारण लिया गया।

पूर्वोक्त क्षेत्रों के कर्मचारियों को लाभ

3315. श्री शिवचरण सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 29 जुलाई, 1994 को राज्य सभा में अतारंकित प्रश्न 611 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "मुख्य संशोधन" किस तिथि को और किस अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया गया;

(ख) क्या स्नातकोत्तर शिक्षकों के मामले में प्रभागीय अधिकारी 'नियुक्ति प्राधिकारी' नहीं होता;

(ग) क्या वह अधिकारी या प्राधिकारी जिन्होंने यह 'मुख्य संशोधन' किया, इसके लिए सक्षम थे, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी सैलजा): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि नियुक्ति की गई उप समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के कार्यान्वयन की तारीख से केवल निम्नलिखित के संबंध में संशोधन किए गए थे:

(I) स्नातकोत्तर शिक्षकों तथा उससे उपर की नियुक्तियों वाले स्टाफ की आर्थिक पद-स्थापना पर ही केवल अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व है, जबकि इससे नीचे के स्टाफ की भर्ती साधारणतया उसी क्षेत्र में कार्य करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्थानीय रूप से की जाती है।

(II) वर्ष 1984 में विशेष भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए स्टाफ को, केवल उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कार्य करने के लिए, विशेष कार्य भत्ता नहीं दिया गया था।